न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर एटा

उपस्थितः विकास कुमार वर्मा, **(J.O.Code. 2225)** उ०प्र० न्यायिक सेवा

प्रकीर्णवाद संख्या–38/2026

शान्तिस्वरूप––––बनाम––––––शेर सिंह आदि

धारा–173(4) बी.एन.एस.एस
थाना–नि०कलां,
जिला एटा

–निस्तारण प्रार्थनापत्र धारा**–173(4) बी.एन.एस.एस–**

17.03.2026

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र पर विस्तृत रूप से सुना गया था।

संक्षेप में परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी अंकित पते के वासिन्दा हैं नक्शा जिल्द गाटा सं०–60/1.9410 व 43/1.2950 हैक्टेयर मेरे पिता एवं परिवारीजन हैं। प्रति०/ अभि० दिनांक–27.01.2026 समय 8 बजे सुबह मुझ प्रार्थी व पत्नी एंव बच्चों को बने मेरे मकानात बावत मारते पीटते जान से मारने व अभद्रता करते हैं। ग्राम निधौलीकलों परगना मारहरा तहसील एटा फर्द खतौनी हैं। जो कासिमपुर रोड नगला दुर्जन आराजी आपस में घरेलू बंटवारा कर अपने–अपने हिस्सों पर काविज व दखील हैं। मैन रोड पनका बावत दुकानें शटर एवं खाली व मकानात मेरे पिता वादहू हम प्रार्थी को 14 वाई 35 फुट बरामदा एवं गैलरी गेट व रोशनदान व विद्युतबीजक 2 किलोवाट 11258135 अनुसार है। हम प्रार्थी एवं पत्नी व बच्चों के गुजर–वसर करते हैं। वर्ष 2023 को अंकित शेरसिंह पुत्र रामसिंह व महादेवी पत्नी शेरसिंह व राजकुमार पुत्र शेरसिंह व सावित्री पत्नी राजकुमार व भूपाली उर्फ भूपेन्द्र पुत्रशेरसिंह व शिवानी पत्नी भूपाली उर्फ भूपेन्द्र व अन्य आये दिन बने मेरे मकानात पर जमीन की रंजिश बावत आयेदिन अंकित हम प्रार्थी/वादी एवं मेरी पत्नी रेखा प्रतिवादिया मारने पीटने लाठी डण्डों से इलाका पुलिस ने घटना देखी वैसे ही रिपोर्ट चालानी धारा–151,107,116 सीआर०पी०सी० वादहू धारा–126 व 135 बी०एन०एस०एस० इन्द्राज निधौलीकलॉ एटा वाहदू अ०सं०–109/2023 धारा–452, 323, 84, 506 आई०पी०सी० हम प्रार्थी वादी अंकित आदि भूपेन्द्र उर्फ भूपाली पुत्र शेरसिंह व दो अज्ञात तमंचे के बट से मुझे व मेरी पत्नी को गम्भीर चुदैल कर मेरे बने मकानात पर घटना कारित वादहू स्वस्थनुसार थाना से ज्ञात हुआ कि अ0सं0–114/23, धारा–452,427, 436, 395, 354ख, 323, 504,506 आई०पी०सी० में अंकित प्रति अभियुक्त है व सम्बन्धित कोर्ट में 210/015 धनदेवी बनाम भूपेन्द्र व अनार सिंह धारा–354,452,506 आई०पी०सी० में थाना निधौलीकलॉ प्रतिवादी अभि० अंकित है। तथा कोतवाली देहात एटा अ0सं0–299/20 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट व 300/20 धारा–8/22 स्वापक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ में भी अभियुक्त भूपेन्द्र उर्फ भोपाली पुत्र शेरसिंह है। इससे स्पष्ट है कि अंकित प्रति०/अभि० बने मेरे मकानात की तोड़ फोड़ कर जान से दबाकर मार देगें व वेदखल कर देगें, हम प्रार्थी ने थाना हाजा व तहसील दिवस बावत अंकित प्रतिवादीगणों के विरूद्ध शिकायतें की फिर भी अंकितों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की। तब मजबूरन प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित रिपोर्ट की छायाप्रति व रसीद दाखिल किये गये हैं।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार थाने पर उक्त मामले के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

Criminal Appeal No–781 Mrs Priyanka Srivastava and Another Vs State of U.P. and others **एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामबाबू गुप्ता व एक अन्य प्रति उ०प्र० राज्य 2001(50) ए.सी.सी. इलाहाबाद**

तथा सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए.सी.सी पेज 739 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा–156(3) द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट को यह विवेकाधिकार है कि वह उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही करें।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के निर्वचन के संदर्भ में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई है:–

1. बसनगौड़ा आर पाटिल बनाम शिवानंद एस. पाटिल (2024) किं० रिट 1 नं0–7526/2024 कर्नाटक उच्च न्यायालय,

2. प्रतीक अग्रवाल बनाम उ.प्र. राज्य (2024) किं. रिट धारा–482 संख्या–10390/2024 इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीट लखनऊ बैंच

3. सुभी एंटनी बनाम सूशा एवं अन्य (2025) कि० उच्च न्यायालय मिस०नं० 508/2025 केरल उच्च न्यायालय

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं उक्त विधि व्यवस्थाओं में वर्णित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आदेश</u>–

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रर्कीण वाद को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. दिनांक–25.03.2026 को प्रस्तुत हो।

(विकास कुमार वर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जलेसर, एटा।